-123-

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

04रा०(विभाग)

सं०सं०–म०नि०–II–उ०यो०– 46/2017–18/ /मत्स्य, राँची, दिनांक 07/05/2018

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा० प्र० से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।
अनौपचारिक रुप द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।
से परामर्शित

विषय– वित्तीय वर्ष 2018–19 में मुख्य शीर्ष 4405–मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय के बजट उपबंध के अंतर्गत मो0 3282.00 लाख (बत्तीस करोड़ बेरासी लाख) रु0 मात्र के अनुमानित व्यय पर राज्य योजना अन्तर्गत वेद व्यास आवास योजना की स्वीकृति के संबन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कहना है कि सामान्य विभागीय राज्यादेश संख्या 05 दिनांक 15.04.2017 तथा ऑनलाईन राज्यादेश संख्या 193 दिनांक 11.04.2017 के कम में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में मॉग संख्या–53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 4405–मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय के बजट उपबंध के अंतर्गत मो0 3282.00 लाख (बतीस करोड बेरासी लाख) रु0 मात्र के अनुमानित व्यय पर राज्य योजना के वेद व्यास आवास योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस योजना में मछुआरों के लिए कुल 2735 पक्का आवास के निर्माण का भौतिक लक्ष्य है। इसका ऑन–लाईन स्वीकृत्यादेश संख्या...322 है।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में मुख्य शीर्ष 4405–मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय–69–वेद व्यास आवास योजना अंतर्गत कुल भारित व्यय मो0 3282.00 लाख (बत्तीस करोड़ बेरासी लाख) रु0 मात्र निम्न लघु शीर्षों के अनुरुप व्यय किए जायेंगे जिसके लिए समुचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त है:

(राशि लाख रू0 में)

क0	मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय	बजट उपबंध	स्वीकृत राशि
1	लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–69– वेद व्यास आवास योजना – विस्तृत शीर्ष– 05– निर्माण 45–निर्माण कार्य, 53 S 4405 00 789690545	500.00	499.20
2	लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना –69– वेद व्यास आवास योजना – विस्तृत शीर्ष– 05– निर्माण 45– निर्माण कार्य, 53 S 4405 00 796690545	1180.00	1179.60
3	लघु शीर्ष 101–अन्तर्देशीय मछली पालन –69– वेद व्यास आवास योजना – विस्तृत शीर्ष– 05– निर्माण 45– निर्माण कार्य, 53 S 4405 00 101690545	1604.00	1603.20
	कुल	**3284.00**	**3282.00**

(कुल मो0 बत्तीस करोड़ बेरासी लाख रू0)

3. (क) यह एक राज्य योजना है।
(ख) योजना के कार्यान्वियन में आवास का निर्माण कम–से–कम 10 के कलस्टर में किया जायेगा। 25 का क्लस्टर अच्छा होगा।

4. लाभुकों का चयन संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा क्लस्टर में किया जाएगा। चयन समिति में संबंधित जिले के माननीय विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे।

5. इस योजना में लाभुक चयन निम्न प्रकार से किया जाना है :–
कृषि प्रभाग द्वारा अधिष्ठापित सिंगल विन्डो के माध्यम से प्राप्त आवेदनों अथवा आव यकता अनुसार समाचार पत्रों में विज्ञापन के उपरान्त प्राप्त आवेदनों में से लाभुकों का चयन किया जायेगा।

i. सकिय अथवा परम्परागत मत्स्य पालक/मछुआ जो मत्स्य उत्पादन/मत्स्य बीज उत्पादन/प्राकृतिक जल संसाधनों में मछली पकड़ने/मत्स्य बिकी में सक्रिय हों।

ii. प्राथमिकता गरीबी रेखा से नीचे कच्चे मिट्टी से बने अथवा फूस के मकान में रहने वाले मछुआ/मत्स्य पालक को दी जायेगी।

iii. घर हेतु जमीन उपलब्ध रहने तथा कच्चा घर वाले मछुआरों को भी कंडिका (i) एवं (ii) के अतिरिक्त लाभान्वित किया जा सकता है। एक परिवार में एक आवास देय है। आवश्यकतानुसार पति–पत्नी के संयुक्त नाम से स्वीकृति दी जायेगी।

iv. प्रकियानुसार आवेदक दिव्यांगों हेतु स्वीकृत राशि का न्यूनतम 3 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि का प्रावधान जिलावार किया जायेगा।

v. ऐसे लाभुकों को दोबारा लाभ नहीं दिया जायेगा, जो पूर्व संचालित विभागीय मछुआ आवास योजना अथवा इन्दिरा आवास या समतुल्य केन्द्र/राज्य सरकार की आवास योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में एक लाभुक के लिये योजना का दोहरीकरण नहीं हो। लाभुकों की अर्हता की जॉच स्वयं संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी निर्धारित मापदण्ड पर करेंगे।

6. इस योजना के तहत चयनित लाभुकों का Geo Tagging कराना सुनिश्चित किया जाय।

7. (क) प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (इंदिरा आवास) के मानक प्राक्कलन के आधार पर आवास निर्माण का कार्य लाभुकों के द्वारा स्वयं कराया जाएगा। लाभुक आवश्यकता अनुसार छत ढलवां अथवा समतल रख सकते हैं। आवास निर्माण हेतु अधिकतम प्रति लाभुक मो0 1,20,000/–रु0 की आर्थिक सहायता होगी। पक्का आवासों का निर्माण मछुआरों की निजी जमीन पर कराया जाएगा। इसके लिए एकाउन्ट स्थानांन्तरण (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभुक मछुआरों के बैंक खाते में राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

(ख) सक्षम प्राधिकार से चयनित लाभुकों के लिए बैंक से राशि की निकासी हेतु जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा विमुक्ति का आदेश निम्न रुप से कार्य की प्रगति के अनुसार किया जायगा :

(i) प्लिंथ स्तर (20%) (ii) छत स्तर (15%)
(iii) छत ढलाई/निर्माण (40%) (iv) फिनिशिंग हेतु राशि दी जायेगी (25%)

8. शीर्षवार जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्न प्रकार है—

वित्तीय वर्ष 2018—19 में मुख्य शीर्ष—4405 मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय—उप शीर्ष—69—वेद व्यास आवास योजना अंतर्गत लघु शीर्ष एवं जिलावार भौतिक (संख्या में) एवं वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)

क0	जिला का नाम	लघु शीर्ष 789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण—45—निर्माण कार्य		लघु शीर्ष 796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण—45—निर्माण कार्य		लघु शीर्ष 101—अन्तर्देशीय मछली—पालन, विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण—45—निर्माण कार्य		कुल भौतिक लक्ष्य	कुल वित्तीय लक्ष्य
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रॉची	25	30	95	114	0	0	120	144
2	खूंटी	21	25.20	60	72	0	0	81	97.2
3	गुमला	10	12	60	72	0	0	70	84
4	सिमडेगा	10	12	60	72	0	0	70	84
5	लोहरदगा	20	24	60	72	0	0	80	96
6	पलामू	20	24	0	0	170	204	190	228
7	लातेहार	10	12	80	96	0	0	90	108
8	गढ़वा	25	30	0	0	142	170.4	167	200.4
9	पूर्वी सिंहभूम	15	18	80	96	0	0	95	114
10	प0 सिंहभूम	20	24	80	96	0	0	100	120
11	सरायकेला	10	12	80	96	0	0	90	108
12	हजारीबाग	20	24	0	0	80	96	100	120
13	रामगढ़	10	12	0	0	80	96	90	108
14	कोडरमा	15	18	0	0	80	96	95	114
15	बोकारो	20	24	0	0	104	124.8	124	148.8
16	धनबाद	20	24	0	0	80	96	100	120
17	गिरिडीह	20	24	0	0	90	108	110	132
18	चतरा	10	12	0	0	100	120	110	132
19	देवघर	55	66	0	0	310	372	365	438
20	दुमका	10	12	80	96	0	0	90	108
21	जामताड़ा	20	24	80	96	0	0	100	120
22	पाकुड़	10	12	80	96	0	0	90	108
23	साहेबगंज	10	12	88	105.6	0	0	98	117.6
24	गोड्डा	10	12	0	0	100	120	110	132
	योग :	**416**	**499.20**	**983**	**1179.60**	**1336**	**1603.2**	**2735**	**3282**

9. योजना स्थल का चयन, योजना की Feasibility एवं सफलता का दायित्व संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी का होगा।

- 120 -

10. लाभुकों के चयन के पूर्व संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं संबंधित क्षेत्र प्रभारी मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/ मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक स्थल की जॉच तथा लाभुकों के आवेदन में वर्णित तथ्यों की छानबीन कर संतुष्ट हो लेंगे। लाभुक की सूची/उसके फोटोग्राफ/स्थायी पता/खाता–खेसरा जिस पर आवास निर्माण हो रहा है उसका ब्यौरा पंजी में संधारित करेंगे। Ground reality से मेल नहीं पाने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी दोषी होंगे। जिला मत्स्य पदाधिकारी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से सम्पर्क कर स्वच्छता हेतु शौचालय निर्माण का प्रयास करेंगे।

    लाभान्वितों के संबंध में प्रत्येक जिला मत्स्य कार्यालय में फोल्डर संधारित कर रखे जायेंगे, जिनमें उन्हें उपलब्ध कराई गई सुविधा से उनकी दशा में आये सुधार का वर्णन रहेगा। योजना के लाभुक का नाम, ब्यौरा, पूर्व, वर्तमान आवास का फोटो, अभिलेख अपने कार्यालय में संधारित करेंगे तथा जिला Web site पर भी डालेंगे।

11. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदे ाक मत्स्य, झारखंड राँची/ जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, रॉची/चाईबासा/जमशेदपुर/गुमला/लोहरदगा/ पलामू/गढ़वा/दुमका/साहेबगंज/गोड्डा/धनबाद/बोकारो/हजारीबाग/गिरिडीह/देवघर/ चतरा तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, सरायकेला–खरसॉवा/ सिमडेगा/लातेहार/जामताड़ा/पाकुड़/ रामगढ़/खूँटी एवं कोडरमा होंगे, जो उपरोक्त कंडिका–7 में दर्शाये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी के अनुरुप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

    इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य एवं सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग होंगे।

12. वित्तीय वर्ष 2017–18 की स्वीकृत योजना में कुल 3600.00 लाख रू0 मात्र में से मो0 3574.80 लाख रू0 मात्र का व्यय है।

13. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक 2561 दिनांक 17–04–98 तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

14. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना ज्ञापांक सी0एस02/आर0–01/2005–301 दिनांक 11.03.2015 के द्वारा विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है।

15. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/- 11/5/18

(पूजा सिंघल)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 04 रा० (विभाग) मत्स्य / रॉची , दिनांक 07/05/2018

प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5/5/18

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 04 रा० (विभाग) मत्स्य / रॉची , दिनांक 07/05/2018

प्रतिलिपि : जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी, (सभी)/ उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/ संयुक्त मत्स्य निदेशक/ निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5/5/18

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 04 रा० (विभाग) मत्स्य / रॉची , दिनांक 07/05/2018

प्रतिलिपि : योजना सह वित्त विभाग (बजट शाखा एवं योजना शाखा) झारखण्ड, रॉची/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ सभी उप विकास आयुक्त/ सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

5/5/18

सरकार के सचिव।